



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122020-223693
CG-DL-E-12122020-223693

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3969]
No. 3969]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2020/अग्रहायण 20, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2020/AGRAHAYANA 20, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4516(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2159 (आ), 30, जून, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में NH16 के कि.मी. 580.7 से कि.मी.634 (थे रेवेनुए डिवीज़न ऑफिस, श्रीकाकुलम) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "27.08.2020" को "प्रजा शक्ति" और "टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में NH16 के कि.मी. 580.7 से कि.मी.634 (थे रेवेनुए डिवीज़न ऑफिस , श्रीकाकुलम) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश जिले का नाम: श्रीकाकुलम					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: Etcherla				
	गांव का नाम: एत्चेर्ला				
1	48/18 (P)	निजी	बेट	0.0688	सतिवदा मल्लेस्वराराओ स/ओ लक्समीनारयणा (४८ १८)
2	52/7	निजी	बेट	0.0729	सतिवदा चित्तेपपादु स/ओ लेट बोडुवाडु (५२ ७)
	गांव का नाम: कुसालपुरम				
3	134/2	निजी	ड्राई	0.015	मोडलावलासा अप्पन्ना, एस / ओ लात्वन, अनजान, बेंदी उषारानी, डब्ल्यू / ओ सोमेश्वरराव, पीडी कृष्णमूर्ति, एस / ओ कृष्णमूर्ति ()
4	134/3	निजी	ड्राई	0.005	गुरुगुबेल्ली रामनामर्थय स/ओ सत्यनारायण ग. रवि कुमार स/ओ सत्यनारायण ()
5	134/4	निजी	ड्राई	0.005	पीडी रवि कुमार स/ओ ततराओ विरला लक्समी ()
6	134/5	निजी	ड्राई	0.005	पीडी नरसय्या स/ओ अप्पळारामना पीडी

					गणपतिराव स/ओ अप्पळरामना पीढी कृष्णराओ स/ओ अप्पळरामना (१३४ ५०)
7	135/2	निजी	ड्राई	0.005	क. मोहनराव स/ओ मुकुंदराव (१३५ २६१)
8	97/17	निजी	ड्राई	0.01	चीगुरुपल्ली सन्यासिराओ स/ओ कृष्णामूर्ति ()
9	97/18	निजी	ड्राई	0.01	इज्जदा शिवकुमार स/ओ राघवलु (९७ १८०)
10	97/19	निजी	ड्राई	0.01	वविलापल्ली भूदेवाममा व ओ आनंदराव ()
			कुल	0.2067	

[फा. सं. NHAI/PIU-Vizag /LA-3a/N.Pet-Ranasthalam/2017/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th December, 2020

S.O. 4516(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.No.2159(E), dated 30.06.2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH16 on the stretch of land from Km 580.7 to Km 634 (The Revenue Division Office, Srikakulam) in the district of SRIKAKULAM in the State of ANDHRA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Times of India” and “Prajasakthi” both dated 27.08.2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in the exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH16 in the stretch of land from NH16 (The Revenue Division Office, Srikakulam) in the district of SRIKAKULAM in the State of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: SRIKAKULAM		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Etcherla				
	Village: Etcherla				
1	48/18 (P)	Private	Wet	0.0688	Sativada Malleswararao, S/o Laxminaryana 48/18
2	52/7	Private	Wet	0.0729	Sativada Chitteppadu, S/o Late Boddavadu 52/7
	Village: Kusalapuram				
3	134/2	Private	Dry	0.015	Modalavalasa Appanna, S/o Latchanna, Unknown, Bendi Usharani, W/o Someswararao, Pydi Krishnamurthy, S/o Krishnamurthy 134/2A
4	134/3	Private	Dry	0.005	Gurugubelli Ramanamurthy, S/o Satyanarayana, G. Ravi kumar, S/o Satyanarayana 134/3A
5	134/4	Private	Dry	0.005	Pydi Ravi Kumar, S/o Tatarao, Veerla Laxmi 134/4A
6	134/5	Private	Dry	0.005	Pydi Narasayya, S/o Appalaramana, Pydi Ganapatirao, S/o appalaramana, Pydi Krishnarao, S/o Appalaramana 134/5A
7	135/2	Private	Dry	0.005	K. Mohanarao, S/o Mukundarao 135/2B1
8	97/17	Private	dry	0.01	Chigurupalli Sanyasirao, S/o Krishnamurthy 97/17A
9	97/18	Private	dry	0.01	Ijjada Shivakumar, S/o Raghavalu 97/18A
10	97/19	Private	Dry	0.01	Vavilapalli Bhudevamma, W/o Anandarao 97/19A
			TOTAL	0.2067	

[F. No. NHAI/PIU-Vizag /LA-3a/N.Pet-Ranasthalam/2017/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.